बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण

कार्यालयः वाणिज्य–कर विभाग, भूतल ,तल,
विकास भवन, बेली रोड, पटना–800001

अग्रिम विनिर्णय संख्या—AR(B)- 01/2018-19

उपस्थित–

1. **श्री संजय कुमार मावंडिया,**
   विशेष आयुक्त राज्य–कर,
   बिहार, पटना। ..... सदस्य (राज्य कर)

2. **श्री टी०जी० राठोड,**
   संयुक्त आयुक्त,
   केन्द्रीय माल और सेवा कर, पटना। .....सदस्य (केन्द्रीय कर)

1.	आवेदक का नाम एवं पता	मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, 203, शान्ति कॉम्पलेक्स, एस०पी० वर्मा रोड, पटना–800001
2.	GSTIN	10AAACT4119L1ZN
3.	आवेदन करने की तिथि	25-05-2018
4.	प्रतिनिधित्व	श्री शान्तनु चक्रवर्ती (Asstt. Vice President, Finance & Accounts)
5.	क्षेत्राधिकार प्राधिकार–केन्द्र	(PATNA I), (PATNA CENTRAL DIVISION), (GANDHI MAIDAN RANGE)
6.	क्षेत्राधिकार प्राधिकार– राज्य	पाटलीपुत्रा अंचल, पटना।
7.	फीस का भुगतान	CGST Rs. 5000, SGST Rs. 5000, Total- Rs. 10,000 CIN: CORP18021000074348 dt.- 21.02.18

24-08-18

केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 98 की उप–धारा (4) के अधीन आदेश

मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, GSTIN- 10AAACT4119L1ZN, 203, शान्ति कॉम्पलेक्स, एस०पी० वर्मा रोड, पटना–800001 के द्वारा दिनांक–25.05.2018 को केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 97 के अन्तर्गत अग्रिम विनिर्णय हेतु प्रपत्र AR-01 में आवेदन दाखिल किया गया है। उक्त कार्यार्थ इनके द्वारा CGST मद में रु० 5000 एवं SGST मद में रु० 5000 कुल रुपये 10,000 का चालान संख्या CIN: CORP18021000074348 दाखिल किया गया है।

2. आवेदक एक कार्य–संवेदक कम्पनी है जो भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन विधिवत निबंधित है। इनका प्रधान कार्यालय मिथोना टावर–1,1–7–80 से 87 प्रेंडरघास्ट रोड, सिकन्दराबाद–500003 में अवस्थित है। आवेदक कम्पनी माल एवं सेवा कर प्रणाली के अधीन निबंधित है। इनके द्वारा अग्रिम विनिर्णय के लिए दिए गए आवेदन में यह प्रश्न उठाया गया है कि सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा द्वारा आवेदक कंपनी को सिविल निर्माण हेतु प्रदत्त कार्य संविदा यथाः फैक्ट्री का निर्माण, रोड का निर्माण एवं अन्य संरचना कार्य आदि पर माल और सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत जीएसटी की दर क्या होगी ? दूसरे शब्दों में, उनके द्वारा आपूर्ति की जानेवाली सेवा अधिसूचना संख्या 11/2017 कर (दर) यथाः संशोधित अधिसूचना संख्या 20/2017 कर (दर) एवं अधिसूचना संख्या 1/2018 कर (दर) के द्वारा अच्छादित है अथवा नहीं एवं आवेदक कंपनी द्वारा सम्पादित किये जाने वाले प्रोजेक्ट पर जीएसटी की देयता क्या होगी ?

3. उपरोक्त अग्रिम विनिर्णय हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में सुनवाई की तिथि 13.08.2018 निर्धारित करते हुए आवेदक कंपनी को सूचना निर्गत की गई। उक्त सूचना के आलोक में आवेदक कंपनी की ओर से श्री शान्तनु चक्रवर्ती (Assistant Vice President, Finance & Accounts) उपस्थित हुए। आंशिक सुनवाई सम्पन्न हुई। पुनः सुनवाई की तिथि 23.8.2018 निर्धारित की गई। निर्धारित तिथि को आवेदक की ओर से पुनः उनके प्रतिनिधि श्री शान्तनु चक्रवर्ती (Assistant Vice President, Finance & Accounts) उपस्थित हुए।

4. आवेदक कंपनी के प्रतिनिधि ने सुनवाई के क्रम में बताया कि सर्वश्री टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड मुख्यतयाः देश एवं देश के बाहर औद्योगिक फैक्ट्री, परियोजना–निर्माण एवं अन्य संरचना निर्माण कार्य में संलग्न है। आवेदक कंपनी को सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा द्वारा फैक्ट्री निर्माण की संविदा प्रदान की गई है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा सर्वश्री एल्शटॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्रा0 लि0 और भारतीय रेलवे का एक संयुक्त–उद्यम है एवं इसकी स्थापना SPV के रूप में इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव के विनिर्माण एवं उसके रख–रखाव के लिए की गई है।

24-08-18

5. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा पुनः बताया गया कि सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 को अपना विनिर्माण कार्य शुरू करने से पहले मधेपुरा में फैक्ट्री परिसर का निर्माण कराना जरूरी था। इसलिए उक्त निर्माण कार्य को कार्य–संविदा के आधार पर मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट प्रा0 लि0 को दिया गया है। आवेदक कंपनी के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा स्पष्ट किया गया कि अधिसूचना संख्या 20/2017 कर (दर) के क्रम सं० 3 की संख्या (V) के अनुसार अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (119) में परिभाषित कार्य संविदा, यदि रेलवे से संबंधित है, तो जीएसटी की देयता 6% की दर से है। आवेदक द्वारा इस अधिसूचना के उक्त प्रावधान को अपने द्वारा सम्पन्न सेवा संव्यवहार पर लागू बताया गया।

6. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि जीएसटी अधिनियम एवं तदैव बनी नियमावली में "रेलवे" शब्द परिभाषित नहीं है। फलतः उपस्थित प्रतिनिधि के द्वारा भारतीय रेलवे अधिनियम में दी गयी रेलवे की परिभाषा को यहाँ लागू बतया गया, जो निम्नप्रकार है–

'Railway' means a railway, or any portion of a railway, for the public carriage of passengers or goods, and includes-

(a) All lands within the fences or other boundary marks indicating the limits of the land appurtenant to a railway;

(b) All lines of rails, sidings, or yards, or branches used for the purposes of, or in connection with, a railway,'

(c) All electric traction equipment, power supply and distribution installations used for the purposes of, or in connection with, a railway;

(d) All rolling stock, stations, offices, warehouses, wharves, workshops, manufactories', fixed plant and machinery, roads and streets, running rooms, rest houses, institutes, hospitals, water works and water supply installations, staff dwellings and any other works constructed for the purpose of, or in connection with, railway;

(e) All vehicles which are used on any road for the purposes of traffic of a railway and owned, hired or worked by a railway; and

(f) All ferries, ships, boats and raps which are used on any canal, river, lake or other navigable inland waters for the purposes of the traffic of a railway and owned, hired or worked by a railway administration.

7. उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 की जमीन भारतीय रेलवे की है एवं मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव को प्रदान की गई जमीन पर स्थापित/निर्मित होनेवाली सभी सुविधाएँ भारतीय रेलवे को प्रदान की जाएंगी। अतएव इस आधार पर आवेदक कंपनी द्वारा किये जा रहे सारे कार्य भी भारतीय रेलवे के लिए माने जाएंगे। आवेदक द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी वैसा सिविल निर्माण जो रेलवे के लिए या रेलवे से संबद्ध हो, वह रेलवे की परिभाषा की परिधि के अन्तर्गत आएगा। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा किये जा रहे सेवा–संव्यवहार अंततः रेलवे से ही संबंधित हैं, इसलिए उक्त अधिसूचना के आलोक में उनके द्वारा सम्पन्न कार्य संविदा पर 6% की दर से एसजीएसटी एवं 6% की दर से सीजीएसटी भुगतेय होना चाहिए। इस आधार पर उन्होंने आवेदक कंपनी द्वारा सम्पन्न किये जा रहे सेवा संव्यवहार पर माल एवं सेवा कर प्रणाली के अन्तर्गत देय कर–दर के संबंध में अग्रिम विनिर्णय देने का आग्रह किया है।

24-08-18

8. प्रसंगाधीन मामले में आवेदनकर्ता के प्रश्न पर विचार करने के पूर्व केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 एवं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना संख्या 20/2017–कर (दर) जिसके आधार पर Lower Rate के लागू होने का दावा किया गया है, के क्रमांक (V) का अवलोकन समीचीन है, जिसका प्रासंगिक प्रावधान निम्न प्रकार है:–

"(v) Composite supply of works contract as defined in clause (119) of section 2 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, supplied by way of construction, erection, commissioning, or installation of original works pertaining to,-

(a) railways, excluding monorail and metro;

(b) xxxxxxxxxxxxxxxx

(c) xxxxxxxxxxxxxxxx

(d) xxxxxxxxxxxxxxxx

(e) xxxxxxxxxxxxxxxx

(f) xxxxxxxxxxxxxxxx

9. उपर्युक्त अधिसूचना के खंड–(क) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निर्माण ठेके की संयुक्त आपूर्ति, जो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (119) में परिभाषित है और यदि ऐसी आपूर्ति Construction, Erection, Commissioning, अथवा Installation के original work द्वारा दी गयी हो एवं जो 'railways' से संबंधित हो, पर एसजीएसटी की देयता 6 प्रतिशत की दर से है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त अधिसूचना में Indian Railways शब्द अंकित नहीं है, बल्कि मात्र 'railways' शब्द अंकित है। फलतः यहाँ 'railway' शब्द का अर्थ वही लिया जाना चाहिए जो इसके Common Parlance अथवा Oxford Dictionary में है। Oxford Dictionary के आधार पर 'railway' शब्द का अर्थ है–

" A track made of steel rails along which trains run.

North American term **'railroad'**

इस क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी शब्द की परिभाषा उस अधिनियम के उद्देश्यों, रचना, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, विस्तार, प्रयोगकर्त्ता (User) और उसकी परिसीमाओं के संदर्भ में गठित की जाती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अनेक मामलों में यह व्यवस्था दी गयी है कि कराधान विधि में किसी शब्द का अर्थ वही निकाला जाना चाहिए, जो सामान्य भाषा (Common Parlance) में समझा जाता हो। माननीय न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया है कि किसी एक अधिनियम में दी गयी परिभाषा को दूसरे अधिनियम में आयातित नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में कुछ प्रमुख न्याय निर्णय निम्न प्रकार हैं–

1. Civil Appeal No. 1722/1969 P.C.Cheriyan v/s Barfi Devi on 16 October, 1979.

2. M/s Msco. Pvt. Ltd. v/s Union of India & Other on 31 October, 1984.

3. State of Madhya Pradesh v/s Merico Industries Ltd., Civil Appeal No. 8656/2015@ SLP(C) No.21106 of 2014,

4. Civil Appeal No. 3467/2007 Trutuf safety glass industries v/s Commissioner of Sales Tax, UP

वर्णित परिप्रेक्ष्य में Indian Railways Act में दी गयी परिभाषा को Tax Laws के संदर्भ में लागू किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता।

10. सुनवाई के क्रम में प्रस्तुत किये गये तथ्यों, वर्णित अधिसूचना तथा माल और सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के सम्यक् विशलेषण से निम्नांकित तथ्य सुस्पष्ट होते हैं –

सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा एक Joint Venture कम्पनी है जिसका गठन Special Purpose Vehicle (SPV) के रूप में हुआ है। मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 द्वारा मुख्यतया Electric Locomotives का विनिर्माण किया जायेगा और उसकी आपूर्ति भारतीय रेलवे को मूल्यवान–प्रतिफल (Valuable Consideration) के आधार पर की जायेगी। साथ ही, ऐसे लोकोमेटिव का रख–रखाव भी इस कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 को इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव के निर्माण हेतु मधेपुरा में फैक्ट्री, सड़क, गोदाम एवं अन्य संरचना का निर्माण करवाए जाने की योजना है। इस हेतु सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा द्वारा आवेदक कंपनी को कार्य संविदा प्रदान की गई है। सर्वश्री टाटा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा कार्य संविदा के आधार पर सम्पन्न सारे संरचना–निर्माण अंततः सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा को हस्तांतरित किए जाएंगे।

सर्वश्री टाटा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 द्वारा सम्पन्न किये जानेवाले निर्माण कार्य माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2(119) के अधीन परिभाषित कार्य–संविदा से आच्छादित हैं। परंतु आवेदक कंपनी द्वारा कार्य–संविदा के आधार पर किये जानेवाले उपरोक्त निर्माण कार्य रेलवे से संबंधित नहीं हैं। आवेदक कंपनी द्वारा सम्पन्न कार्य संविदा सर्वश्री मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0, मधेपुरा को हस्तांतरित की जायेगी न कि रेलवे को। उपस्थित व्यक्ति के कथनानुसार आवेदक कंपनी द्वारा हस्तांतरित/आपूर्ति किये गये सेवाओं पर मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 का स्वामित्व होगा और कार्य संविदा के आधार पर आपूर्ति किये गये ऐसे निर्माण भारतीय रेलवे को Resale/Supply नहीं किये जायेंगे।

पुनः आवेदक कंपनी एवं मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 के बीच Supply of services का इकरारनामा **है, जबकि मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 और भारतीय रेलवे के बीच होनेवाला** संव्यवहार मुख्यतया Supply of goods है। मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 द्वारा मूल्यवान–प्रतिफल (Valuable Consideration) के आधार पर भारतीय रेलवे को लोकोमेटिव की आपूर्ति (Supply of goods) की जायेगी। यद्यपि मधेपुरा इलेक्ट्रीक लोकोमेटिव प्रा0 लि0 द्वारा भारतीय रेलवे को

कतिपय सेवाओं की आपूर्ति भी की जायेगी किन्तु ऐसी सेवाएं अधिसूचना सं0– 20/2017–कर (दर) के अनुसार Original work नहीं होंगे। वार्णित तथ्यों के आलोक में अग्रिम विनिर्णय निम्नवत दिया जाता है –

अग्रिम विनिर्णयः– आवेदक द्वारा कार्य–संविदा के तहत किये जाने वाला सेवा संव्यवहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(119) के अधीन "कार्य–संविदा" संव्यवहार तो है लेकिन यह रेलवे से कतई संबंधित नहीं है। फलतः इस कार्य–संविदा संव्यवहार पर अधिसूचना संख्या 20/2017–(कर) के क्रम संख्या 3(v) के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इस सेवा संव्यवहार पर 9% की दर से एसजीएसटी एवं 9% की दर से सीजीएसटी की देयता होगी।

(टी०जी० राठोड)
सदस्य,
बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण,
पटना।

(संजय कुमार मावंडिया)
सदस्य,
बिहार अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण,
पटना।